



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 755/2026

कुमारी पुष्पा

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : बलराम जी वर्मा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. शुरुआत में, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम जी वर्मा वर्तमान याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें प्रत्यर्थीगण को नायब तहसीलदार द्वारा अग्रेषित 25.04.2025 की जांच रिपोर्ट पर उचित निर्णय लेने का निर्देश देकर परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए चुनौती दी गई है। प्रतिवादी संख्या 7 के आय प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील हरैया, जिला-बस्ती को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका का गठन ठीक से नहीं किया गया है।

2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है।

21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।